# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/84
Manual no- 58/2021

(Bank Case)

एस.आर.जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री कमल कांत गौतम पुत्र श्री बजरंग गौतम जाति गौतम निवासी 117,ब्रहमपुरी, विनोद खुर्द, सांगोद, जिला कोटा (राज.) 325601 **(ऋणी)**
2. श्रीमती सीमा पत्नी श्री कमल कांत गौतम जाति गौतम निवासी 117,ब्रहमपुरी, विनोद खुर्द, सांगोद, जिला कोटा (राज.) 325601 **(सहऋणी)**
3. श्री मुकेश कुमार गोचर पुत्र श्री चितर लाल जाति गोचर निवासी 247, बजरंग विहार, कबिर आश्रम के सामने, बोराबास, लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) 324001 **(जमानती)**
4. श्री महेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 112, मंदिर के पास का क्षेत्र, नया नोहरा, जिला कोटा (राज.) 324001 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002**

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांकः 08.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस.आर.जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 02.12.2017 को 7,00,000/–(अक्षरेः रूपये सात लाख मात्र ) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति श्री कमल कांत गौतम पुत्र श्री बजरंग गौतम जाति गौतम की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 4952, मिसल संख्या 208, दिनांक 30.10.2007 ग्राम पंचायत विनोद खुर्द, पंचायत समिति सांगोद, जिला– कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 3190 वर्ग फिट है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– श्री मूल चंद/श्री मांगी लाल सेन, दक्षिण में– श्री नरसिंह भगवान मंदिर और रोड, पूर्व में– रोड, पश्चिम में– हवेली की रोड और नदी स्थित है,** को प्रार्थी वित्तिय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 05.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 8,00,283 रूपये (अक्षरेः– आठ लाख दो सौ तिरासी रूपये मात्र ) दिनांक 12.03.2019 तक व दिनांक 13.03.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तिय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तिय संस्था ने दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति श्री कमल कांत गौतम पुत्र श्री बजरंग गौतम जाति गौतम की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 4952, मिसल संख्या 208, दिनांक 30.10.2007 ग्राम पंचायत विनोद खुर्द, पंचायत समिति सांगोद, जिला– कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 3190 वर्ग फिट है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– श्री मूल चंद/श्री मांगी लाल सेन, दक्षिण में– श्री नरसिंह भगवान मंदिर और रोड, पूर्व में– रोड़, पश्चिम में– हवेली की रोड और नदी स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तिय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)